विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या : 1339/वि0स0/संसदीय/104(सं)/2016

दिनांक 19 सितम्बर, 2016

———————

अधिसूचना

———————

प्रकीर्ण

श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 29 जून, 2016 को दायर की गई याचिका पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है :-

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री गया चरण दिनकर द्वारा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका पर

निर्णय

1-श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी, विधान मण्डल दल एवं नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29-06-2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है।

2-संक्षेप में याची का यह कथन है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तथा इसे निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। याची के अनुसार विपक्षी आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दिनंक 06-03-2012 को पडरौना विधान सभा क्षेत्र जिला कुशीनगर से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, जिसकी अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा 06-03-2012 को निर्गत की गयी थी। याची द्वारा यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा जारी दलीय सूची में विपक्षी का नाम बहुजन समाज पार्टी सदस्य के रूप में अंकित है।

3-याची के अनुसार भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (ए) में यह उल्लिखित है कि यदि कोई सदन का सदस्य जिस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुआ है उस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वह विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्ह हो जायेगा।

4-याची ने इस पर बल दिया है कि विपक्षी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 22-06-2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।

5-याची द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के समक्ष प्रेस कांफ्रेन्स की गई तथा इस बात की घोषणा की गई कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है। याची के अनुसार विपक्षी का यह बयान इलेक्ट्रानिक मीडिया के लगभग सभी न्यूज चैनल पर दिनांक 22-06-2016 एवं 23-06-2016 को प्रसारित हुआ एवं सभी दैनिक समाचार-पत्रों में भी दिनांक 23-06-2016 को प्रकाशित हुआ।

6-याची के अनुसार दिनांक 22-06-2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ने के उपरान्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी से दिल्ली में भेंट की जिसके बारे में समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ। विपक्षी के इस कृत्य से यह स्पष्ट है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिनांक 22-06-2016 को स्वेच्छा से छोड़ दी है तथा वह अन्य दल में जाने के इच्छुक हैं।

7-याची द्वारा यह भी कहा गया है कि विपक्षी द्वारा बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के विषय में अनर्गल, अशोभनीय एवं पार्टी विरोधी कई वक्तव्य जारी किये, जो विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए।

8-याची द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा गया है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग कर दी है तथा वह भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद-2(1) (क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्ह हो गये हैं।

9-अंत में श्री गया चरण दिनकर, याची द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाये।

10-याचिका के समस्त प्रस्तरों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न की गयी हैं। याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/उपाबंधों को भी प्रमाणित किया गया है।

11-प्रस्तुत याचिका उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्राविधानों में वर्णित शर्तों को पूर्ण करती है। तद्नुसार विपक्षी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-8(3) के अन्तर्गत याचिका की प्रति एवं उसके उपाबंधों सहित प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपना उत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

12-विपक्षी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 02-08-2016 को उपर्युक्त याचिका पर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है तथा इसके संविधान के अनुसार अधिकृत व्यक्ति ही 'भारत का संविधान' की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिका दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि याची को याचिका में यह इंगित नहीं किया है कि वह किस प्रकार से प्रस्तुत याचिका दाखिल करने हेतु अधिकृत है, क्योंकि गया चरण दिनकर को यह याचिका नेता विधान मण्डल की हैसियत से दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

13-विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि वह अपने मूल राजनीतिक दल का सदस्य है तथा उसने स्वेच्छा से उसकी सदस्यता नहीं छोड़ी है। विपक्षी के अनुसार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के महासचिव के पद से त्याग पत्र दिनांक 22-06-2016 को दिया था। विपक्षी के अनुसार उनके पत्र को तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित किया गया है, जो मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने मात्र राष्ट्रीय महासचिव के पद से ही त्याग पत्र दिया है, दल की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दिया है। अतः उनके सम्बन्ध में निरर्हता से सम्बन्धित कोई भी प्रावधान लागू नहीं होते हैं एवं याचिका निरस्त होने योग्य है।

14-श्री गया चरण दिनकर, याची द्वारा दिनांक 10-08-2016 को एक पूरक प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें याचिका के अन्य तथ्यों को दोहराते हुए याची द्वारा यह कहा गया है कि याचिका प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त विपक्षी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 08-08-2016 को राजधानी नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गयी है जिसे दिनांक 09-08-2016 में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी प्रसारित किया गया।

15-पूरक प्रार्थना-पत्र में याची द्वारा इस पर बल दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कृत्य यह सिद्ध करता है कि विपक्षी द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी है। अतः इस सम्बन्ध में अब किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही याची द्वारा पुनः यह प्रार्थना की गयी है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त यह सिद्ध हो गया है कि विपक्षी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य दिनांक 22-06-2016 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह हो गये हैं।

16-विपक्षी को पूरक प्रार्थना पत्र की प्रति इस आशय के साथ प्रस्तुत की गयी कि उनको पूरक प्रार्थना-पत्र पर अपना प्रतिउत्तर देने का अवसर प्राप्त हो सके, परन्तु विपक्षी की ओर से पूरक प्रार्थना-पत्र के सापेक्ष कोई उत्तर अथवा टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गयी।

17-याची की ओर से विपक्षी के उत्तर के सापेक्ष प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें कि याची द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी की ओर से दिया गया यह तर्क मान्य नहीं है कि याची इस याचिका को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में याची की ओर से इस पर बल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7, उप नियम (2) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अतः नियम-8 के उप नियम-3 (ख) के अन्तर्गत वह व्यक्ति विधान मण्डल का नेता अथवा कोई भी हो सकता है। अतः विपक्षी के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

18-याची ने याचिका के अन्य तथ्यों को दोहराते हुए यह कहा है कि चूंकि विपक्षी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को त्याग दिया गया है तथा उन्होंने दिनांक 08-08-2016 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अतः उनको विधान सभा सदस्य के रूप में निरर्ह घोषित किया जाना चाहिए।

19-दिनांक 20 अगस्त, 2016 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, विपक्षी द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को आहूत महारैली में व्यस्त होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 22 सितम्बर, 2016 के पश्चात् की कोई तिथि नियत की जाये। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुरोध पर विचार किया गया तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर श्री मौर्य को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया और उनको यह निर्देशित किया गया कि वह दिनांक 31 अगस्त, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्हें प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। चूंकि प्रकरण को उपयुक्त समय में निर्णीत किया जाना अपेक्षित है। अतः श्री मौर्य को इससे अधिक अवसर दिया जाना विधि के अनुकूल एवं न्याय-हित में नहीं माना गया।

20-दिनांक 26 अगस्त, 2016 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से विधान सभा की अपनी सदस्यता से त्याग करने का एक पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कि उन्होंने यह अभिकथित किया है कि वह 26 अगस्त, 2016 के अपराह्न से सदन से अपने स्थान से पद त्याग करते हैं। याची श्री गया चरण दिनकर द्वारा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग-पत्र के विषय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमें कि उनके द्वारा यह कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं अन्य में यह अवधारणा व्यक्त की गई है कि निरर्हता उसी तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जिस तिथि से उसका कारण उत्पन्न हुआ हो, अतः श्री स्वामी

प्रसाद मौर्य द्वारा प्रस्तुत किया गया त्याग-पत्र विधिक रूप से मान्य नहीं है क्योंकि यदि उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है तो याची द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका के आधार पर उन्हें निरर्ह घोषित किया जाता है तो वह पूर्वगामी तिथि से प्रभावी माना जायेगा, जब इस हेतु कारण उत्पन्न हुआ हो। श्री गया चरण दिनकर द्वारा प्रस्तुत किये गये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निरर्हता उसी तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जिस तिथि से सम्बन्धित सदस्य द्वारा ऐसा आचरण किया गया था जिसके आधार पर यह माना जाये कि उसने स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग दिया है। अतः प्रस्तुत याचिका के निस्तारण से पूर्व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग-पत्र पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों के क्रम में यह अपेक्षित है कि प्रस्तुत याचिका के गुणावगुण के आधार पर निस्तारण होने के पश्चात् ही श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग-पत्र पर विचार किया जाना विधि के अनुसार उपयुक्त होगा।

उक्त के सम्बन्ध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य (1994 एस0सी0सी0 1558)** में पारित निर्णय सुसंगत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में व्यक्त की गई निम्नलिखित अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि सदन का कोई भी सदस्य औपचारिक त्याग-पत्र के बिना अपने आचरण से भी सदन की सदस्यता त्याग कर सकता है।

The words "voluntarily given up his membership are not synonymous with resignation and have a wider connotation. A person may voluntarily give up his membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal resignation from membership an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of the political party to which he belongs."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा प्रस्तुत किये गये औपचारिक त्याग-पत्र पर विचार करने से पूर्व उनके आचरण के विषय में प्रस्तुत की गई याचिका का निस्तारण किया जाना आवश्यक है क्योंकि श्री मौर्य द्वारा अपना त्याग-पत्र याचिका के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है।

21-मैंने पत्रावली एवं सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन किया। याची द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर विपक्षी को दसवीं अनुसूची के प्रस्तर-2 (1) (ए) के अन्तर्गत निरर्ह घोषित किये जाने का प्रतिवेदन किया है कि याची द्वारा दिनांक 22-06-2016 को प्रेस कान्फ्रेन्स करके अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध अनर्गल एवं आपत्तिजनक अभिकथन किये जो कि पार्टी विरोधी गतिविधि की परिधि में आता है तथा यह माना जाना चाहिए कि विपक्षी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग दी है। इसके अतिरिक्त पूरक याचिका के माध्यम से याची द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 08-08-2016 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है जो कि विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था। अतः इस आधार पर भी यह माना जायेगा कि उन्होंने अपनी मूल राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग दी है। याची की ओर से साक्ष्य के रूप में दिनांक 23-06-2016, दिनांक 25-06-2016 तथा 26-06-2016 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार-पत्रों की प्रतियां साक्ष्य के रूप में दाखिल की है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के तर्क के समर्थन में याची की ओर से दिनांक 09-08-2016 को प्रकाशित समाचार-पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की गयी है।

22-विपक्षी द्वारा मुख्य रूप से अपने प्रति उत्तर में यह कहा गया है कि याची श्री गया चरण दिनकर प्रस्तुत याचिका दाखिल करने हेतु अधिकृत नहीं है तथा यह कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव

के पद से त्याग-पत्र दिया है न कि मूल पार्टी से, भी उनके सम्बन्ध में दसवीं अनुसूची के खण्ड (2) के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं एवं याचिका निरस्त हो गयी।

23-भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रगति के दौरान यह अनुभव किया गया कि दल-बदल के कारण परिपक्व लोकतंत्र की प्रगति में बाधा आ रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की विचारधारा के आधार पर उसके सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो उससे यह अपेक्षित है कि वह उस दल की विचारधारा के अनुसार प्रतिबद्धता रखते हुए कार्य करेगा। मतदाता किसी प्रत्याशी को उसके दल के परिप्रेक्ष्य में मतदान करता है, अतः यदि निर्वाचित होने के पश्चात् कोई सदस्य दल-बदल करता है तो वह जनता के साथ धोखा है। दल-बदल की प्रथा अलोकतांत्रिक है क्योंकि यह निर्वाचन के परिणामों को नकारती है। इसके अतिरिक्त दल-बदल के कारण कई बार सरकारों की अस्थिरता भी उजागर हुई जोकि जनहित के विपरीत है। इन्हीं सब उद्देश्यों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के बावनवें (52वें) संशोधन का समावेश किया गया जिससे कि दल-बदल की प्रथा को रोका जा सके। संविधान की दसवीं अनुसूची में ऐसे विभिन्न आधार प्राविधानित किये गये जिनके उत्पन्न होने से सदन के निर्वाचित सदस्यों की निरर्हता घोषित की जा सके। प्रारम्भ में एक तिहाई सदस्यों के समूह तक के दल-बदल को मान्यता प्रदान करते हुए संरक्षित किया गया, परन्तु समय के साथ यह अनुभव किया गया कि इससे भी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, अतः अन्ततः दल-बदल को पूर्णतया असंवैधानिक घोषित किया गया। दल-बदल कानून के संविधान में तद्नुसार समावेश के पश्चात् यदि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं का त्वरित निस्तारण नहीं किया जाता तो संविधान की योजनाओं में निहित प्राविधानों का हनन होगा एवं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं होगी। तद्नुसार दसवीं अनुसूची में प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण के विषय में अनावश्यक विलम्ब किया जाना असंवैधानिक है एवं दसवीं अनुसूची के उद्देश्यों के विपरीत है तथा संसदीय लोकतंत्र के लिये हानिकारक है।

24-मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के अभिप्राय तथा उद्देश्यों एवं उसमें निहित मन्तव्यों को **"किहोटाहोलोहन (ए0आई0आर0 1993 एस0सी0 412)"** के प्रकरण में निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है :-

"...these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process. A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme. A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2 (1) (A) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person after the election, changes his affiliation and leaves the political party which had set him up as a candidate at the election then he should give up his membership of the legislature and go back before the electorate."

25-मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **डा0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह प्रति चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल एवं अन्य (2004, 8 एससीसी 747)** के मामले में सभापति अथवा अध्यक्ष की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत भूमिका परिभाषित की गई है एवं यह अवधारित किया गया है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत सभापति अथवा अध्यक्ष निरर्हता के प्रश्न पर विनिश्चय करते समय स्वविवेक धारित नहीं करते हैं वरन् उनकी भूमिका प्रकरण के वर्णित तथ्यों को एकत्र करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने की होती है। प्रमाणिक रूप से प्रकरण के सम्बन्धित समस्त तथ्यों के विषय में समाधान हो जाने पर अध्यक्ष अथवा सभापति दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्राविधानों को प्रकरण के तथ्यों के विषय में लागू करते हुए अपना निर्णय प्रदान करेंगे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

"Paragraph 6 says that where any question arises as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule the same shall be

referred for the decision of the Chairman or as the case may be the Speaker of the House and his decision shall be final. Therefore the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect."

26-मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई उक्त विधि व्यवस्थाओं के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत जो याचिकायें अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, उनमें मुख्य रूप से अध्यक्ष का कार्य तथ्यों को सुनिश्चित करके निर्णय प्रदान करने का है तथा इसमें अध्यक्ष अपने स्वविवेक से कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रस्तुत प्रकरण में याची द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 22 जून, 2016 को प्रेस कान्फ्रेन्स करके अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अनर्गल, अशोभनीय एवं आपत्तिजनक वक्तव्य दिये जोकि यह दर्शित करते हैं कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर दिया है।

27-मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) की **परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में 'किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2 एस0सी0सी0'** के मामलों में पारित निर्णयों के अन्तर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Emplied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

28-प्रस्तुत याचिका में याची द्वारा श्री मौर्य के विरुद्ध यह आरोप लगाये गये हैं कि उन्होंने प्रेस कान्फ्रेन्स के माध्यम से यह घोणा की कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है। श्री मौर्य की प्रेस कान्फ्रेन्स को इलेक्ट्रानिक मीडिया के विभिन्न न्यूज चैनलों पर दिनांक 22-06-2016 एवं दिनांक 23-06-2016 को प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त याची के अनुसार श्री मौर्य की प्रेस कान्फ्रेन्स के विषय में सभी दैनिक समाचार-पत्रों में भी दिनांक 23-06-2016 को समाचार प्रकाशित हुए। याची की ओर से यह भी कहा गया कि दिनांक 22-06-2016 के पश्चात् श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी से दिल्ली में मिले, जिसके बारे में समाचार-पत्रों में समचार भी प्रकाशित हुआ। याची की ओर से प्रकरण में अपना पक्ष रखने के समय यह भी कहा गया कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो प्रेस कान्फ्रेन्स की गई थी उसमें उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष को वह अपनी राजनीति से बर्खास्त करते हैं। इस सम्बन्ध में याची की ओर से याचिका के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्बोधित एक पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई जोकि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा उनको प्रेषित की गई थी। पत्र की इस प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा इस पत्र में निम्नलिखित अंकित किया गया है-**"इसलिये मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा भी देता हूं एवं मैं अपनी राजनीति से आपको बर्खास्त करता हूं।"**

29-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के उपर्युक्त अभिकथन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी के रूप में अपना त्याग-पत्र दिया तथा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी राजनीति से पृथक किया। श्री मौर्य के इन वक्तव्यों से यह विवक्षित रूप से प्रदर्शित होता है कि उन्होंने अपनी मूल राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी। श्री मौर्य द्वारा इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया है कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्याग-पत्र दिनांक 22-06-2016 को दिया था परन्तु

उन्होंने दल की सदस्यता का त्याग नहीं किया था। श्री मौर्य के इस तर्क में बल प्रतीत नहीं होता क्योंकि श्री मौर्य ने स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी राजनीति से बर्खास्त करते हैं। यदि कोई सदस्य अपनी मूल राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी राजनीति से पृथक करता है तो वह उस मूल राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता। जो सदस्य अपने मूल राजनैतिक पार्टी में क्रियाशील रहना चाहेगा, वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा न कि उसको अपनी राजनीति से बर्खास्त करेगा। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 08-08-16 को नई दिल्ली में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गई है। इस आशय का समाचार याची के अनुसार समाचार चैनलों पर दिनांक 08-08-16 को प्रसारित किया गया तथा दिनांक 09-08-16 को विभिन्न समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। याची द्वारा इन समाचार-पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं।

तथ्यों के उपर्युक्त तारतम्य् एवं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 22-06-16 को श्री मौर्य द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स करके जो पत्र बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित किया गया तथा उसके पश्चात् जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिनांक 08-08-16 को ग्रहण की, उससे यह स्पष्ट है कि श्री मौर्य द्वारा दिनांक 22-06-16 को आहूत की गई प्रेस कान्फ्रेन्स में उनके द्वारा किया गया आचरण अपनी मूल राजनीतिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से त्यागने की परिधि में आता है, क्योंकि उसी प्रेस कान्फ्रेन्स के क्रम में तथा उसके परिणामस्वरूप उन्होंने उसके पश्चात् भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। याची द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न समाचार-पत्रों की प्रतियां प्रेषित की गई हैं, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा उक्त प्रेस कान्फ्रेन्स की गई थी तथा प्रेस कान्फ्रेन्स के पश्चात् दिनांक 08-08-16 को उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन आफ इण्डिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558)** में पारित निर्णय के अन्तर्गत समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जो कि निम्नवत् है :-

"As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D' Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D' Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D' Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor in the impugned order of disqualification does not in these circumstances, introduce an

infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार-पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि उपर्युक्त समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य हैं।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचना से यह स्पष्ट है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 22-06-2016 को सम्पन्न हुई प्रेस कान्फ्रेन्स में दिये गये वक्तव्य एवं दिनांक 08-08-16 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप उन्होंने स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को तत्समय स्वेच्छा से त्याग दिया था। अतः श्री मौर्य को दिनांक 22-06-2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह माना जायेगा।

माननीय **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0सी0 1305, 2007)** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैं।

"As we see it the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator, Similarly, the fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule with reference to the other paragraphs of the Tenth Schdule the position that emerges in that the Spearker has to decide the question disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision expost facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indertiminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are therefore of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred cannot be accepted."

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिनांक 22-06-2016 को आहूत प्रेस वार्ता के समय अपने मूल राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी राजनीति से पृथक किया तथा उसी तारतम्य में दिनांक 08-08-16 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अतः श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के उक्त आचरण एवं कृत्य से यह स्पष्ट है कि उन्होंने तत्समय परोक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से त्याग दिया। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के संदर्भ में भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) के प्रावधान आकर्षित होते हैं, जिसके फलस्वरूप श्री स्वामी प्रसाद मौर्य दिनांक 22-06-2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गये।

आदेश

श्री गया चरण दिनकर द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, पडरौना, विधान सभा क्षेत्र, जिला कुशीनगर को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) के अन्तर्गत दिनांक 22 जून, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

माता प्रसाद पाण्डेय,

दिनांक 19 सितम्बर, 2016

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 1339(1)/वि0स0/संसदीय/104(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :--

1-श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव को श्री राज्यपाल की सूचनार्थ,

2-मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,

3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

4-समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

5-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,

6-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,

8-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

9-सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,

10-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,

11-श्री गया चरण दिनकर, नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

12-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ग्राम व पोस्ट-चकवड़, तहसील-कुण्डा, जनपद-प्रतापगढ़,

13-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

14-महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,

15-महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,

16-जिलाधिकारी, प्रतापगढ़,

17-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,

उप सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 149 विधान सभा (239)-19-09-2016-1000 प्रतियां-कम्प्यूटर।